

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0अधि0सं० :-3/अ०प्र०-1-102/2014 718


/पटना, दिनांक :- 5-3-2020

श्री रामू प्रसाद, तत्कालीय सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, विरौल के विरुद्ध समस्तीपुर जिलान्तर्गत रोसड़ा अनुमंडल के सिंधिया प्रखंड में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत टी02 से कुण्डल अन्तर्गत बलवीर चौक आई0बी0 ढाला वाटन वेज बाँध राजघाट तक सड़क निर्माण में बरती गयी अनियमितता संबंधी आरोपों के लिए अधिसूचना संख्या-2848 सह पठित ज्ञापांक 2849 अनु0 दिनांक 19.09.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्रवाई मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1922 अनु0 दिनांक 03.04.2017 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरुद्ध गठित सभी तीनों आरोपों को अप्रमाणित पाया गया।

उक्त आलोक में समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री रामू प्रसाद, तत्कालीय सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, विरौल को प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।


प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(मनोज कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-1-102/2014 719

/पटना, दिनांक :- 5-3-2020

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर/दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा/विरौल/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4/5/विभागीय आई0टी0 मैनेजर एवं श्री रामू प्रसाद, तत्कालीय सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, विरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप सचिव
26/2/2020